


पुस्तकानुसार 1. 29.4.26 का

पेश की जाये

29-4-26

पत्रावली पेश हुई उसमें पत्र उपरिष्ठत पत्रावली से कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नहीं लिखा जा सका था। बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से मुन. मजिद बहस सुनी गई वादवादीका कृपा सिद्ध नहीं होने से खाशील किया जाता है, विस्तृत आदेश मुद्रक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेगुं (चित्तौड़गढ़)